[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 03/2024- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 05 जनवरी, 2024

का.आ.....(अ).– केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 30/2023-सीटी, तारीख 31 जुलाई, 2023, जो का0आ0 संख्या 3424(अ), तारीख 31 जुलाई, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को ऐसे विखंडन के पूर्व की गई या किए जाने से लोप की गई बातों के सिवाय, विखंडित करती है ।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी मानी जाएगी ।

[फा.सं. सीबीआईसी–20001/7/2023-जीएसटी]

(राघवेंद्र पाल सिंह)
निदेशक